यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी : अमीलाल यादव (आर.ए.एस.)

संख्या 66/2025

निर्णय दिनांक :- 11-6-2025

रामकुमार बनाम राजस्थान सरकार

अंतर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट

निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :– वादी राम कुमार पुत्र इना राम उम्र वर्ष जाति कुम्हार निवासी दड़ीबा, बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू ने उक्त धारा के तहत एक वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि खेत खाता नम्बर नया 7, पुराना 7, खसरा संख्या 117 तादादी 2.4787 हेक्टयर रोही ग्राम बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू में वादी का नाम रामकुवार पुत्र इन्द्राराम जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी दड़ीबा दर्ज है वह गलत है, जबकि वादी का सही नाम राम कुमार पुत्र इना राम जाति कुम्हार निवासी दड़ीबा, बीदासर है। प्रतिवादीगण 1 को जरिए नोटिस तलब किया गया।

पैरोकार सरकार की ओर से तहसीलदार ने उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया कि वादी अपना नाम शुद्ध करवाये तो हमें आपत्ति नहीं है। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अपना आधार कार्ड, परिचय पत्र, जनआधार कार्ड, बैंक खाता की पासबुक, राशन कार्ड आदि की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की जिन सभी में रामकुवार पुत्र इन्द्राराम जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी दड़ीबा की बजाय राम कुमार पुत्र इना राम जाति कुम्हार निवासी दड़ीबा, बीदासर अंकित है।

अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत जमाबन्दी रोही ग्राम बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू के खेत खाता नम्बर नया 7, पुराना 7, खसरा संख्या 117 तादादी 2.4787 हेक्टयर में अंकित खातेदार रामकुवार पुत्र इन्द्राराम जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी दड़ीबा की बजाय राम कुमार पुत्र इना राम जाति कुम्हार निवासी दड़ीबा, बीदासर दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं, तहसीलदार बीदासर को प्रतिलिपि पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर